अधिनियम के तहत प्रत्येक का 1/5 हिस्सा बनता है। यह कहना सरासर गलत है, कि सम्पति देवी ने अपना हिस्सा की दस्तबरदारी अपने भाई के हक में नहीं की है। अगर दस्तबरदारी बनाई गई तो फर्जी है। अपने कथनों की पुष्टि में डी.एन.जे. 2015 पेज 203 तथा डी.एन.बी. 2013 पेज 498 की नजीर पेश की।

विद्धान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया वाद वादी साक्ष्य के आधार पर ही सिद्ध होना है। इस कारण प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पोषणीय नहीं पाया जानें के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. को खारिज किया जाता है।

वकील वादी को हिदायत दी गई कि प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की तलबी हेतु फहरीस्त तलवाना पेश करे पेश होने पर जारी हो पत्रावली वास्ते जबाब दावा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तथा वास्ते तलबी प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हेतु दिनांक 24-4-17 को पेश हो।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

24/4/17 वकील उभयपक्ष उपस्थित प्रतिवादी सं. 5-6 को पूर्व आदेशानुसार पेशी ... होगी पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादी सं. 5-6 व जवाब प्रतिवादी सं. 3-4 दिनांक 24.5.17 को पेश हो।

24-5-17 वकील उभयपक्ष उपस्थित वकील वादी द्वारा कथन किया गया उभयपक्ष का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो चुका है, इस कारण अब वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं अतः उभयपक्ष के राजीनामा कथन के आधार पर वाद वादी वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(margin) लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है इसलिए ... कार्यवाही नहीं चाहते

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर